ORDER SHEET

THE COURT_____

_____ of 20

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पूर्व में प्रस्तुत इसी प्रकृति के अन्य आवेदन के साथ जवाब एवं तर्क हेतु दिनांक 18/07/2025 को नियत किये जाने का निवेदन किया गया । बाद विचार निवेदन स्वीकार किया गया। प्रकरण पूर्ववत् आवेदन अंतर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. पर जवाब/तर्क हेतु दिनांक 18/07/2025 विशेष न्यायाधीश (भ्र. नि. अधि.) सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.) दिनांक 18/07/2025 आवेदकगण प्रमोद कुमार नेताम, श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर, एल.एल. ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद कुमार पाटले, दिनकर वासनीक, नोहर सिंह ठाकुर, नवीन प्रताप सिंह तोमर एवं विकास कुमार गोस्वामी द्वारा श्री अभिषेक सिन्हा वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री एस.के. फरहान, अधिवक्ता आवेदकगण रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन शर्मा, अनिमेश नेताम, मोहित कुमार जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन कुमार खंडुजा, अश्वनी कुमार अनंत, अनंत कुमार सिंह, सोनल नेताम, सौरभ बक्शी, गरीब पाल सिंह दर्दी एवं जेतू राम मंडावी द्वारा श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री आदित्य श्रीवास्तव, अधिवक्ता	

Order Sheet [Contd.]

Case No. ..... of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सिंह वर्मा, अरविंद कुमार पाटले पिता–श्री नवल सिंह पाटले, दिनकर वासनीक पिता–श्री पन्ना लाल वासनीक, नोहर सिंह ठाकुर पिता–श्री गौतम सिंह ठाकुर, नवीन प्रताप सिंह तोमर पिता–श्री भगवान सिंह तोमर एवं विकास कुमार गोस्वामी पिता– विनोद गोस्वामी की ओर से प्रस्तुत आवेदन की कंडिका 1 में तथा आवेदक देवलाल वैद्य, पिता-स्व. गोवर्धन सिंह वैद्य **(सेवानिवृत्त)** की ओर से प्रस्तुत आवेदन की कंडिका 10 में तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकाश पाल पिता–स्व. सपन कुमार पाल, अलेख कुमार सिदार पिता–मुरलीधर सिदार, आशीष कोसम पिता–बृजलाल कोसम एवं राजेश जायसवाल पिता–स्व. हरिप्रसाद जायसवाल की ओर से संयुक्त रुप से प्रस्तुत आवेदन पत्र की कंडिका 2 में आवेदनों को उक्त प्रावधान के अंतर्गत प्रथम जमानत आवेदन होने तथा कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय लंबित/प्रस्तुत नहीं होना उल्लेखित किया गया है ।

आवेदकगण रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन शर्मा, अनिमेश नेताम, मोहित कुमार जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन कुमार खंडुजा, अश्वनी कुमार अनंत, अनंत कुमार सिंह, सोनल नेताम, सौरभ बक्शी, गरीब पाल सिंह दर्दी एवं जेठू राम मंडावी की ओर से प्रस्तुत आवेदनों में उनके द्वारा उन्हें ए.सी.बी. के द्वारा दी गयी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में उपस्थित होने एवं उन्हें यह सूचित किये जाने कि उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 04/24 की कायमी की गयी है । पूछताछ के दौरान उन्होंने ए.सी.बी. एवं ई.ओ.डब्ल्यू. के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया था । पूरी विवेचना के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और अंतिम अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । आवेदकगण

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदक/अभियुक्त देवलाल वैद्य द्वारा श्री जी.एस. लांबा, अधिवक्ता आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकाश पाल, अलेख कुमार सिदार, आशीष कोसम एवं राजेश जायसवाल द्वारा श्री गौरव सिंघल, अधिवक्ता अभियोजन द्वारा डॉ. सौरभ पांडेय सह श्री डालेश्वर प्रसाद साहू, विशेष लोक अभियोजक प्रकरण उक्त आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. पर जवाब/तर्क हेतु नियत है । आवेदकगण प्रकाश पाल, अलेख राम सिदार, आशीष कोसम, राजेश जायसवाल की ओर से संयुक्त एवं शेष आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत पृथक–पृथक आवेदन थाना ए.सी.बी./ई.ओ.डब्ल्यू. के अपराध क्रमांक 04/2024 अंतर्गत धारा 7, 12 भ्र.नि.अधि. एवं धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.वि. के परिप्रेक्ष्य में होकर विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 01/2024 से संबंधित है । आवेदकगण रामकृष्ण मिश्रा पिता–श्री शैलेन्द्र मिश्रा, मंजूश्री कसेर पति–श्री रामचंद्र सरस, विजय सेन शर्मा पिता–पी.सी. सेन शर्मा, अनिमेश नेताम पिता–स्व. डॉ. आनंद नेताम, मोहित कुमार जायसवाल पिता–श्री रामलाल जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी पिता–दयाराम नुरूटी **(सेवानिवृत्त)**, नीतिन कुमार खंडुजा पिता–श्री रविन्द्र खंडुजा, अश्वनी कुमार अनंत पिता स्व. आशाराम अनंत **(सेवानिवृत्त)**, अनंत कुमार सिंह पिता स्व. अखिलेश्वर सिंह **(सेवानिवृत्त)**, सोनल नेताम पति–जसवीर सिंह मरावी, सौरभ बक्शी पिता– राजीव बक्शी, गरीब पाल सिंह दर्दी, पिता–स्व. दिलबाग सिंह दर्दी एवं जेठू राम मंडावी पिता–स्व. नंदलाल मंडावी **(सेवानिवृत्त)** की ओर से प्रस्तुत आवेदन की कंडिका 2 एवं आवेदकगण प्रमोद कुमार नेताम पिता–स्व. श्यामलाल नेताम, श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर पति–श्री पीयूष ठाकुर, एल.एल. ध्रुव पिता–स्व. मोतीसिंह ध्रुव **(सेवानिवृत्त)**, इकबाल अहमद खान पिता–स्व. एम.आई. खान, जनार्दन सिंह कौरव पिता–श्री पंचाम	

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ... 3,00,000 प्रतियां.

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties Pleaders where necessary

शासकीय सेवक/सेवा निवृत्त शासकीय सेवक है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है । ओवदकगण निर्दोष है, उनके द्वारा उन पर अभियोजित अपराध नहीं किया गया है । आवेदन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न समादरणीय न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित मत का उल्लेख किया जाकर उनका आवेदन स्वीकार किया जाकर, उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया । आवेदन के समर्थन में आवेदकगण द्वारा उनके स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है । कुछ आवेदकगण द्वारा उन्हें ए.सी.बी. द्वारा जारी नोटिस की मूल/छायाप्रति एवं आवेदक सोनल नेताम द्वारा उसके उपचार संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न की गयी है । उक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विभिन्न समादरणीय न्यायदृष्टांतो सहित प्रकरण के कुछ अन्य अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्राप्त होने संबंधी समादरणीय आदेशों का अवलंब लिया गया ।

आवेदकगण प्रमोद कुमार नेताम, श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर, एल.एल. ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद कुमार पाटले, दिनकर वासनीक, नोहर सिंह ठाकुर, नवीन प्रताप सिंह तोमर एवं विकास कुमार गोस्वामी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में अभियोजन द्वारा पूरी विवेचना के दौरान उनकी अभिरक्षा की प्रार्थना नहीं की गयी । अभियोजन द्वारा उन्हें अपराध क्रमांक 04/24 के परिप्रेक्ष्य में अंतिम अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने की जानकारी देकर दिनांक 07/07/2025 को उपस्थित होने के लिए कहा गया । आवेदकगण को यह आशंका रही कि उन्हें निश्चित रुप से गिरफ्तार किया जाकर, अभिरक्षा में लिया जा सकता है । अभियुक्तगण निर्दोष होकर, उनकी आरोपित अपराध में कोई भूमिका नहीं रही है । आवेदकगण विभाग में वरिष्ठ पद पर कार्यरत है/रहे है । आवेदन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित मत एवं उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक स्थिति का हवाला दिया जाकर, इस

Order Sheet [Contd.]

Case No. ..... of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में कुछ अभियुक्तगण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का उल्लेख करते हुए, समानता का लाभ उन्हें भी प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदकगण द्वारा उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदनों को स्वीकार किया जाकर, उनकी गिरफ्तारी की दशा में उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने संबंधी निर्देश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है । आवेदकगण द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में उनके स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है । उक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विभिन्न समादरणीय न्यायदृष्टांतो सहित प्रकरण के कुछ अन्य अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्राप्त होने संबंधी समादरणीय आदेशों का अवलंब लिया गया ।

आवेदक देवलाल वैद्य की ओर से प्रस्तुत आवेदन में उसके वर्ष 2022 में जिला आबकारी के पद से सेवा निवृत्त होने, सेवा के दौरान उसके द्वारा आरोपित अपराध जैसा कोई कृत्य नहीं किये जाने तथा उसके द्वारा विवेचना अधिकारी का सहयोग करते हुए संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है । आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक पिछले 5 वर्षो से पार्किनसन नामक बीमारी से ग्रस्त होकर डी.के.एस. अस्पताल रायपुर में उपचाररत है । आवेदक के सोचने समझने की शक्ति समाप्त होकर, वह अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ हो गया है, विकृत चित व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है और उसके स्वास्थ्य के दृष्टिगत उसे धारा 330 दं.प्र.सं/धारा 369 भा.ना.सु.सं. के आज्ञापक प्रावधान का लाभ दिया जाना आवश्यक है । उसके फरार नहीं होने, विचारण में पूर्ण सहयोग करने संबंधी कथन का उल्लेख किया जाकर उसका आवेदन स्वीकार कर गिरफ्तारी की दशा में उसे सक्षम जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है । आवेदन के समर्थन में उनकी पत्नि श्रीमती कनक लता वैद्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties Pleaders where necessary

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं देहली उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक अपील क्रमांक 2010/2010 एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 242/2024 का अवलंब लिया गया है ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकाश पाल, अलेख कुमार सिदार (संलग्न शपथ पत्र के अनुसार अलेख राम सिदार), आशीष कोसम एवं राजेश जायसवाल की ओर से संयुक्त रुप से प्रस्तुत आवेदन में उनके आबकारी विभाग में कार्यरत होने, अन्वेषण के प्रारंभ से अन्वेषण अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने, नोटिस प्राप्त होने का ए.सी.बी./ई.ओ.डब्ल्यू के समक्ष उपस्थित होने और उनके निर्दोष होने के उपरांत भी उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाये जाने का लेख करते हुए प्रथम सूचना पत्र में उनका नाम नहीं होने, अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने का भी उल्लेख करते हुए उनके भागने की कोई संभावना नहीं होने, न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तो एवं निर्बंधनों का पालन करने हेतु तत्पर होने का भी उल्लेख करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है । आवेदन के समर्थन में उक्त आवेदगण के द्वारा उनके स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है ।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर की ओर से प्रस्तुत पृथक-पृथक अग्रिम जमानत आवेदनों के संबंध में पृथक-पृथक विरोधपत्र प्रस्तुत कर जमानत आवेदन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

आवेदकगण द्वारा पृथक-पृथक प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. थाना ए.सी.बी./ई.ओ.डब्ल्यू. रायपुर के अपराध क्रमांक 04/2024 अंतर्गत धारा 7, 12 भ्र.नि.अधि. एवं धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.वि. के परिप्रेक्ष्य में उद्भूत वि.दां.प्र.क्र. 01/2024 से संबंधित होने के कारण इन सभी आवेदनों पर समग्र रुप से विचार किया जाकर, आवेदनों को निराकृत किया जाना उचित प्रतीत

Order Sheet [Contd.]

Case No. ..... of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

होता है । इसी परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुना जाकर, अपराध क्रमांक 04/24 की केस डायरी एवं वि.दा.प्र.क्रं. 01/2024 के अभिलेख, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत विरोध पत्र का अवलोकन किया गया। आवेकदगण पर उनके आबकारी विभाग में विभिन्न पदों पर विभिन्न स्थानों पर कार्यरत रहने के दौरान उनके निर्देश पर अनएकाउटेंट पार्ट-बी शराब की बिक्री होने एवं उनके द्वारा अवैध रुप से भिन्न-भिन्न राशि एवं अन्य स्त्रोतो से भी अवैध धन प्राप्त किये जाने संबंधी अभियोग है। केस डायरी एवं प्रकरण के अभिलेख के अवलोकन से आवेदकगण की प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता होना दर्शित है । समानता के अधिकार पर जमानत का लाभ प्राप्त किए जाने को पूर्ण अथवा आत्यांतिक अधिकार नहीं होने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा "तरूण कुमार विरूद्ध सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय " 2023 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 1486 में प्रतिपादित मत महत्वपूर्ण होकर अवलोकनीय है ।आवेदक देवलाल वैद्य की ओर से प्रस्तुत आवेदन में आवेदन की कंडिका 7 में उसके मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के संबंध में किये गये उल्लेख के समर्थन में डॉ. अभिजीत कुमार, न्यूरोलाजिस्ट सलाहकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपचार संबंधी अथवा अन्य चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना दर्शित नहीं है। प्रकरण की परिस्थिति, अपराध की प्रकृति तथा आवेदकगण की तत्समय की प्रास्थिति के दृष्टिगत प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरुप आवेदकगण/ अभियुक्तगण **रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन शर्मा, अनिमेश नेताम, मोहित कुमार जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन कुमार खंडुजा, अश्वनी कुमार अनंत, अनंत कुमार सिंह, सोनल नेताम, सौरभ बक्शी, गरीब पाल सिंह दर्दी, जेठू राम मंडावी, प्रमोद**

[P.T.O.

का आदेश प्रदान करने की महान कृपा करें।

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	कुमार नेताम, श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर, एल.एल. ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद कुमार पाटले, दिनकर वासनीक, नोहर सिंह ठाकुर, नवीन प्रताप सिंह तोमर, विकास कुमार गोस्वामी, देवलाल वैद्य**, प्रकाश पाल, अलेख राम सिदार, आशीष कोसम एवं राजेश जायसवाल** की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. अस्वीकार कर निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण पूर्ववत दिनांक 22/07/2025 (नीरज शर्मा) विशेष न्यायाधीश (भ्र. नि. अधि.) सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	NF 22/7/25 (Dr. S.K. Pande) SPP-EOW/ACB